Annexure A-II (38) (6)

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मई 1987

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा प्रलिपिक वर्गीय सेवा भरती नियम, 1987.

क्र. 1620-सत्रह-मेडि-2-87.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा प्रलिपिक वर्गीय सेवाओं में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा प्रलिपिक वर्गीय सेवा भरती नियम, 1987 है।

ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जिसे उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति शासन द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो या इसके पश्चात् प्रत्यायोजित की जाए;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ङ) "अनुसूचित जातियां" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) "अनुसूचित जनजातियां" से अभिप्रेत है कोई जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कंडीशन्स आफ सर्विस) रूल्स, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों,

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गए व्यक्ति,

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किए गए व्यक्ति.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे:

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) चयन कर सीधी भरती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा;

जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूलतः धारण करते हों, जैसा कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाय.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक के पदों की संख्या, अनुसूची दो में दर्शाये गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए जिनको कि कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित है अपनाए जाने वाले भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जायेगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवाओं की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति से सेवा में भरती के उन तरीकों से भिन्न जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसा तरीका अपना सकेगा जो वह इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् की जायेगी, अन्यथा नहीं.

सत्य प्रतिलिपि
[signature]
आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—चयन किए जाने के पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) आयु.—(क) चयन प्रारंभ होने की तारीख को आगामी 1 जनवरी को उसने अनुसूची तीन के कालम (3) में दर्शाई गई आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में दर्शाई गई आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्च आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जायेगी.

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में भी जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना क्रियान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिहित है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु कि उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से अभिहित है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट घोषित कर दिया गया था:—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन मुक्त किए गए हैं.

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे दुबारा भरती किया गया है और जिन्हे (क) अल्प अवधि के अनुबन्ध पूर्ण हो जाने पर (ख) भरती की शर्तें पूर्ण कर लेने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है.

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी आते हैं) जिन्हे उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया है.

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर 6 मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सिपाही बनने के लिए योग्य नहीं हैं.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है.

टिप्पणी.—(1) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिए ग्राह्य किया गया है, इस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी यदि वे आवेदन करने के बाद चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की जाय, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे.

(2) किसी भी अन्य दशा में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी.

(3) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

कार्यालय ...

(8) शैक्षणिक अर्हताएं.—अभ्यार्थी के पास उस पद के लिए विनिर्दिष्ट ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसी कि अनुसूची तीन के कालम (5) में दी गई हैं.

9. निरर्हता.—अभ्यार्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए उसे अनर्ह बनाएगा.

10. अभ्यार्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा.—चयन के लिए अभ्यार्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यार्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा.

11. चयन द्वारा सीधी भरती.—(1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों में किया जायगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे.

(2) सेवा में सम्मिलित पदों के लिए अभ्यार्थियों का चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नाम निर्दिष्ट की गई चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लेकर किया जाएगा.

(3) सीधी भरती से भरे जाने के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों के 16% तथा 20% स्थान उन अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों.

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यार्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, उप-नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां केवल उन अभ्यार्थियों के लिए दोबारा अनन्य रूप से पुनः विज्ञापित की जायेंगी. यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात भी रिक्तियां भरी न जाएं तो वे सामान्य अभ्यार्थियों से भरी जाएगी और पश्चातवर्ती चयन के दौरान उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (जिनमें अग्रनीत की गई रिक्तियां भी सम्मिलित हैं) किसी भी समय विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के 45% से अधिक नहीं होगी.

12. नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यार्थियों की सूची.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी (चयन समिति) सम्यक रूप से चयन किए गए ऐसे अभ्यार्थियों की, जिन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त कर ली हो, गुणागुण के आधार पर एक सूची तैयार करेगा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यार्थियों की जो यद्यपि उस मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं किन्तु जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो एक सूची तैयार करेगा. सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जाति ... अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए अभ्यार्थियों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिस क्रम में सूची में उनके नाम दिए गए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यार्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति:—(1) पात्र अभ्यार्थियों का पदोन्नति के लिये प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारण तौर पर एक वर्ष से अधिक न हो.

(3) ऐसे पदों पर, जिनमें पदोन्नति का प्रतिशत अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार 33 1/3 प्रतिशत या अधिक है, पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों का 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यार्थियों के लिये, जो नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हों, आरक्षित रखा जाएगा.

(4) आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति की प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

(14) पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:—(1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, अनुसूची चार के कालम (2) में उल्लिखित पद पर या किसी अन्य पद या सरकार द्वारा घोषित समतुल्य पदों पर, इतने वर्ष की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में) जिसकी संख्या उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या से कम न हो, लगातार पूर्ण कर ली हो. ऐसे लिपिकीय पदों पर, जिनमें लेखा प्रशिक्षण अनिवार्य हो, केवल ऐसे ही अगले कनिष्ठ व्यक्तियों में से पदोन्नति की जायेगी, जिन्होंने लेखा में अर्हता प्राप्त कर ली हो, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें विहित पदों पर लेखा में अर्हता प्राप्त किए बिना पदोन्नत किया गया था, पदोन्नति की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर लेखा में अर्हता प्राप्त करनी होगी:

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) चयन का क्षेत्र "गुण व ज्येष्ठता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में, चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सामान्यतः सात गुना तक और "ज्येष्ठता व गुण" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में, चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुना तक सीमित होगा :

सत्य प्रतिलिपि

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो समिति क्षेत्र को उस सीमा तक, जहां तक कि वह आवश्यक समझे, निर्धारित कारणों को अभिलिखित करते हुए, बढ़ा सकेगी.

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना.--(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त ठहराए गए हों, यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची, उपर्युक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किया जाने वाला चयन निम्नलिखित मानदण्ड पर आधारित होगा:--

(क) अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक गुण व ज्येष्ठता; और

(ख) अन्य ज्येष्ठता व गुण

(3) सूची में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों के नाम, प्रत्येक चयन सूची के तैयार करते समय, अनुसूची चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण.--ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान नियुक्त न किया गया हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही व्यक्ति के ऊपर, जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया ज्येष्ठता का दावा नहीं रहेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया जायगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया जाय तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के कारण अभिलिखित करेगी.

16. चयन सूची.--(1) नियुक्ति प्राधिकारी समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो नियुक्ति प्राधिकारी समिति को प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी देगा और समिति की टिप्पणियों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे उपान्तरणों के साथ, जो उसकी (नियुक्ति प्राधिकारी) राय में न्याय-संगत तथा उचित हों, अंतिम रूप से सूची को अनुमोदित कर सकेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप नियम (1) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाय, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उपयुक्त समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.--चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के बाहर आने वाले पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हों :

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो, या जो चयन सूची में दिए गए क्रम में अगला न हो, तदर्थ रूप से नियुक्त किया जा सकेगा जब कि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है.

(2) जिस व्यक्ति का नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, उसको सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित करने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिसमें उसका सेवा में नियुक्त किया जाना उपयुक्त न हो.

18. परिवीक्षा.--सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

19. निर्वाचन.--यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा.

20. शिथिलीकरण.--इन नियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं ऐसी रीति में कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है जो उसे उचित और न्यायपूर्ण प्रतीत होती हो :

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायगा जो उसके लिए इन नियमों में किए गए उपबन्धों से कम अनुकूल हो.

21. व्यावृत्ति.--इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. निरसन.--इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जावेगी.

सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

कार्यालय संभागीय अधिकारी आयुर्वेद

RII (40) (8)

अनुसूची एक

(नियम 5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
		संचालनालय के कर्मचारी	
एक			
अधीक्षक	2	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	रुपये 925—25—1000—30—1210—40—1450—50—1600.
सहायक अधीक्षक	2	तदैव	रुपये 740—15—800—20—900—25—1000—30—1210—40—1250.
सहायक	8	तदैव	रुपये 680—15—800—20—900—25—1000—30—1120.
उच्च श्रेणी लिपिक	13	तदैव	रुपये 575—15—800—20—900—25—925.
निम्न श्रेणी लिपिक	20	तदैव	रुपये 515—10—575—15—800—20—840.
दो			
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	तदैव	रुपये 900—25—1000—30—1210—40—1450—50—1550.
मुख्य लेखापाल	1	तदैव	रुपये 740—15—800—20—900—25—1000—30—1210—40—1250.
लेखापाल	1	तदैव	रुपये 635—15—800—20—[illegible]—25—1000.
तीन			
शीघ्रलेखक	3	तदैव	रुपये 740—15—800—20—900—25—1000—30—1210—40—1250.
चार			
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	तदैव	रुपये 860—20—900—25—1000—30—1210—40—1410.
		संभागीय संगठन की स्थापना.	
एक			
मुख्य लिपिक (वरिष्ठ ग्रेड)	2	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	रुपये 680—15—800—20—900—25—1000—30—1120.
मुख्य लिपिक (कनिष्ठ ग्रेड)	48	तदैव	रुपये 635—15—800—20—900—25—1000.
उच्च श्रेणी लिपिक/भण्डारी (स्टोर-कीपर) स्टूवर्ड.	129	तदैव	रुपये 575—15—800—20—900—25—925
निम्न श्रेणी लिपिक / सहायक भण्डारी (असि. स्टोर कीपर) सहायक स्टूवर्ड.	123	तदैव	रुपये 515—10—575—15—800—20—840.

354

सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

कार्यालय संभागीय अधिकारी आयुर्वेद

(1)	(2)	(3)	(4)
प्रवर्ग दो			
1. लेखापाल	43	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	रुपये 635—15—800—20—900—25—10[illegible]
प्रवर्ग तीन			
1. निदेशक विज्ञान	6	अलिपिक वर्गीय	रुपये 740—15—800—20—900—25—1000—30—1210—40—1250.
2. सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/भारग्राही सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / कनिष्ठ अनुसंधान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी.	339	तदैव	रुपये 575—15—800—20—900—25—[illegible]
3. हकीम फिजिशियन	16	तदैव	रुपये 575—15—800—20—900—25—925
4. सहायक चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) कनिष्ठ ग्रेड	57	तदैव	रुपये 575—15—800—20—900—25—925. (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए)
5. सहायक चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) वरिष्ठ ग्रेड		तदैव	रुपये 900—25—1000—30—1210—40—1450—50—1550. (चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए)
6. अनुसंधान पुस्तकालयाध्यक्ष (आयुर्वेद स्नातक)	1	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय.	रुपये 710—15—800—20—900—25—1000—30—12-10—40—1250.
7. व्यायाम शिक्षक	5	तदैव	रुपये 635—15—800—20—900—25—1000.
8. तकनीशियन	6	तदैव	रुपये 635—15—800—20—900—25—1000.
9. पुस्तकालयाध्यक्ष	2	तदैव	रुपये 740—15—800—20—900—25—1000—30—1210—40—1250.
10. संग्रहालय सहायक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष	3	तदैव	रुपये 515—10—575—15—800—20—840.
11. औषधि संयोजक (कम्पाउण्डर)	1590	तदैव	रुपये 515—10—575—15—800—20—840
12. संग्रहालय सहायक	2	तदैव	रुपये 515—10—575—15—800—20—[illegible]
13. रेडियोग्राफर	1	तदैव	रुपये 575—15—800—20—900—[illegible]5.
14. एक्स-रे सहायक	2	तदैव	रुपये 485—10—575—15—770.
15. कलाकार	1	तदैव	रुपये 635—15—800—20—900—25—1000.
16. प्रयोगशाला सहायक	19	तदैव	रुपये 515—10—575—15—800—20—840
17. तकनीकी सहायक	6	तदैव	रुपये 485—10—575—15—770.
18. मैकेनिक	2	तदैव	रुपये 485—10—575—15—770.
19. बढ़ई	7	तदैव	रुपये 485—10—575—15—770.
20. चालक	4	तदैव	रुपये 515—10—575—15—800—20—[illegible]0.
21. सहायक मैकेनिक	2	तदैव	रुपये. 445—10—575—15—665.
22. पट्टी बंधक (ड्रेसर)	7	तदैव	रुपये 485—10—575—15—770.
प्रवर्ग चार		नर्सिंग कर्मचारी वृन्द	
1. नर्सिंग सिस्टर	30	तदैव	रुपये 740—15—800—20—900—25—1000—30—1210—40—1250.
2. स्टाफ नर्स	102	तदैव	रुपये 635—15—800—20—900—25—1000.
3. प्रसाविका (मिड वाइफ)	1	तदैव	रुपये 515—10—575—15—800—20—84[illegible]
4. सहायक नर्स प्रसाविका (ए.एन.एम.)	4	तदैव	रुपये 485—10—575—15—770.
5. दाई	1550	तदैव	रुपये [illegible]—10—575—15—665.

सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

अनुसूची दो

(नियम [illegible] देखिये)

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	चयन/प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये सीधी भर्ती द्वारा (3)	पदोन्नति द्वारा (4)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा (5)
संचालनालय के कर्मचारी				
प्रवर्ग—एक				
1. अधीक्षक	2	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
2. सहायक अधीक्षक	2	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
3. सहायक	8	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	कोई नहीं
4. उच्च श्रेणी लिपिक	13	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
5. निम्न श्रेणी लिपिक	20	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	कोई नहीं
प्रवर्ग—दो				
1. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	100 प्रतिशत (अधीनस्थ लेखा सेवा)	कोई नहीं	
2. मुख्य लेखापाल	1	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
3. लेखापाल	1	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
प्रवर्ग—तीन				
शीघ्रलेखक	3	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
प्रवर्ग—चार				
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	100 प्रतिशत	कोई नहीं	
संभागीय संगठन के कर्मचारी				
प्रवर्ग—एक				
1. मुख्य लिपिक (वरिष्ठ ग्रेड)	2	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
2. मुख्य लिपिक (कनिष्ठ ग्रेड)	48	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
3. उच्च श्रेणी लिपिक / भण्डारी / स्टूवर्ड	129	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
4. निम्न श्रेणी लिपिक / सहायक भण्डारी / सहायक स्टूवर्ड	123	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार)	कोई नहीं
प्रवर्ग—दो				
लेखापाल	43		100 प्रतिशत	कोई नहीं

सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

कार्यालय संभागीय अधिकारी आयुर्वेद

[illegible] (म. प्र.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग—तीन				
1. निदेशक, [illegible]	6	100 प्रतिशत	कोई नहीं.	कोई नहीं.
2. सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / भारग्राही सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ कनिष्ठ अनुसंधान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी.	330	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	कोई नहीं
3. हाउस फिजिशियन	15	100 प्रतिशत	कोई नहीं (आयुर्वेद [illegible] में से)	कोई नहीं
4. सहायक चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) कनिष्ठ ग्रेड सहायक चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ ग्रेड)	57	75 प्रतिशत 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत 50 प्रतिशत	कोई नहीं कोई नहीं.
5. अनुसंधान पुस्तकालयाध्यक्ष (आयुर्वेद स्नातक)	1	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
6. व्यायाम शिक्षक	5	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
7. तकनीशियन	6	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
8. पुस्तकालयाध्यक्ष	2	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
9. संग्रहालय सहायक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष	3	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
10. औषधि संयोजक (कम्पाउन्डर) (आयुर्वेद, यूनानी, तथा होम्योपैथी)	1590	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	कोई नहीं
11. संग्रहालय सहायक	2	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
12. रेडियोग्राफर	1	100 प्रतिशत	कोई नहीं.	कोई नहीं
13. एक्सरे सहायक	2	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
14. कलाकार	1	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
15. प्रयोग शाला सहायक	19	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
16. तकनीकी सहायक	6	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
17. मैकेनिक	2	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
18. बढ़ई	7	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
19. चालक	4	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
20. सहायक मैकेनिक	2	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
21. पेट्टी ब्रेक (ड्रेसर)	7	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
प्रवर्ग—चार				
1. नर्सिंग सिस्टर	30	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
2. स्टाफ नर्स	10[illegible]	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
3. प्रसाविका (मिडवाइफ)	1	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
4. सहायक नर्स प्रसाविका (ए. एन. एम.)	1	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
5. दाई	15[illegible]0	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं.

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

कार्यालय [illegible] अधिकारी आयुर्वेद

[illegible] (म.प्र.)

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिए)

क्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता (न्यूनतम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	संचालनालय के कर्मचारी			
	प्रवर्ग एक	वर्ष	वर्ष	
1	सहायक	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा लिपिक के पद पर कार्यालयीन कार्य का पांच वर्ष का अनुभव
2	निम्न श्रेणी लिपिक	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा मध्यप्रदेश बोर्ड या अन्य किसी मान्यता प्राप्त (मण्डल) बोर्ड से हिन्दी मुद्रण लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र.
	प्रवर्ग दो			
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ लेखा कार्य का पांच वर्ष का अनुभव.
	प्रवर्ग तीन			
4	शीघ्रलेखक	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन (मण्डल) बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड (मण्डल) से शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण.
	प्रवर्ग चार			
5	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित किसी भी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि:—अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित.
	संभागीय संगठन के कर्मचारी			
	प्रवर्ग एक			
1	निम्न श्रेणी लिपिक/सहायक भण्डारी, सहायक स्टवर्ड	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन और मुद्रलेखन (मण्डल) बोर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त (मण्डल) बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र.
2	निदर्शक विज्ञान	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, एम. एस. सी.
3	हाउस फिजिशियन	18	30	शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय से योग्यता क्रम में आयुर्वेदिक स्नातक की उपाधि.
4	सहायक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी/भारसाही सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ अनुसंधान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी.	18	30	न्यूनतम अर्हता-एल. ए. पी. भिषगाचार्य तथा आयुर्वेदाचार्य बी. ए. प्रथम वर्ष के साथ.

सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी
[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		वर्ष	वर्ष	
5	सहायक चिकित्सा प्रधिकारी (होम्योपैथी) कनिष्ठ ग्रेड.	18	30	होम्योपैथी में डी. एच. बी. या कोई अन्य मान्यता प्राप्त डिप्लोमा.
6	सहायक चिकित्सा प्रधिकारी (होम्योपैथी) वरिष्ठ ग्रेड.	18	30	होम्योपैथी में बी. एच. एम. या कोई अन्य मान्यता प्राप्त उपाधि.
7	अनुसंधान पुस्तकालयाध्यक्ष	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड (मण्डल) संकाय से आयुर्वेद में स्नातक.
8	व्यायाम शिक्षक	18	30	व्यायाम प्रशिक्षण में डिप्लोमा.
9	तकनीशियन	18	30	(एक) विशिष्ट विषय का डिप्लोमा धारक. (दो) उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण.
10	पुस्तकालयाध्यक्ष	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक.
11	संग्रहालय सहायक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा (विज्ञान) के साथ पुस्तकालय ([illegible] का प्रमाण पत्र.
12	ग्रोषधि प्रयोजक (कम्पाउन्डर) (अ) आयुर्वेद	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण/मैट्रिक उत्तीर्ण या उसके समतुल्य तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उप वैद्य/वैद्य विशारद या उसके समतुल्य कम्पाउन्डर प्रशिक्षण या कोई अन्य मान्यता प्राप्त अर्हता.
	(आ) यूनानी	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण, जिसमें उर्दू या फारसी एक विषय हो तथा उर्दू और हिन्दी लेखन का ज्ञान हो, ऐसे व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा, जिन्हें यूनानी ग्रोषधियों का ज्ञान हो.
	(इ) होम्योपैथी	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण/मैट्रिक उत्तीर्ण या सम [illegible] अर्हता.
13	संग्रहालय सहायक	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा (विज्ञान) उत्तीर्ण..
14	रेडियोग्राफर	18	30	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षित रेडियोग्राफर.
15	एक्सरे सहायक	18	30	किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय या संस्था से रेडियोग्राफी में प्रशिक्षित.
16	कलाकार	18	30	ललित कला में डिप्लोमा.
17	प्रयोगशाला सहायक	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा (विज्ञान) उत्तीर्ण या उसके समतुल्य.
18	तकनीकी सहायक	18	30	उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा (विज्ञान) उत्तीर्ण या उसके समतुल्य.
19	मैकेनिक	18	30	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र.
20	बढ़ई	18	30	(क) प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था का बढ़ईगीरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र.

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

कार्यालय संभागीय अधिकारी आयुर्वेद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	चालक	18	30	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और ड्राइविंग लाइसेंस.
22	सहायक मेकेनिक	18	30	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी कर्मशाला में कार्य का अनुभव.
23	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	18	30	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रशिक्षित पट्टीबंधक (ड्रेसर).
	प्रवर्ग चार			
1	स्टाफ नर्स	18	30	बी. एस. सी. (नर्सिंग) या रजिस्ट्रीकृत नर्स मिडवाइफ, जिसके पास नर्सिंग परिषद का प्रमाण पत्र हो तथा स्वास्थ्य परिदर्शक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो.
2	प्रसाविका (मिडवाइफ)	18	30	प्रसाविका प्रशिक्षण प्राप्त तथा पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण.
3	सहायक नर्स प्रसाविका (ए. एन. एम.)	18	30	मान्यता प्राप्त चिकित्सालय या संस्था से सहायक नर्स प्रसाविका (ए. एन. एम.) प्रशिक्षण प्राप्त.
4	दाई	18	30	प्राथमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय या संस्था से 9 माह का दाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो.

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

अनु क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	संचालनालय की (कर्मचारी) स्थापना			
	प्रवर्ग एक			
1	सहायक अधीक्षक/ मुख्य लेखापाल	अधीक्षक	3 वर्ष का अनुभव	1. संयुक्त संचालक (वरिष्ठ) अध्यक्ष. 2. उप संचालक (प्रशासन) सदस्य. 3. प्रशासनिक अधिकारी सदस्य.
2	सहायक	सहायक अधीक्षक	तदैव	तदैव
3	उच्च श्रेणी लिपिक	सहायक	5 वर्ष का अनुभव	तदैव
4	निम्न श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	3 वर्ष का अनुभव	तदैव
5	चतुर्थ श्रेणी	निम्न श्रेणी लिपिक	5 वर्ष का अनुभव तथा उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण.	तदैव
	प्रवर्ग दो			
1	लेखापाल	मुख्य लेखापाल	3 वर्ष का अनुभव	तदैव
2	उच्च श्रेणी लिपिक (लेखा परीक्षा प्रशिक्षित)	लेखापाल	तदैव	तदैव

सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी
कार्यालय संभागीय अधिकारी आयुर्वेद
जबलपुर (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		[illegible] संवर्ग के कर्मचारी		
	प्रवर्ग एक			
1.	मुख्य लिपिक (कनिष्ठ ग्रेड)	मुख्य लिपिक (वरिष्ठ ग्रेड)	3 वर्ष का अनुभव	1. आचार्य (वरिष्ठ) अध्यक्ष
2	उ. श्रे. लि.	मुख्य लिपिक (कनिष्ठ वेतन मान)	..	2. संभागीय अधिकारी आयुर्वेद सदस्य
3.	नि. श्रे. लि./सहायक भण्डारी/सहायक स्टूवर्ड	उ. श्रे. लि. भण्डारी/स्टूवर्ड	..	3. जिला आयुर्वेद अधिकारी (वरिष्ठ) सदस्य.
4	चतुर्थ श्रेणी	नि. श्रे. लि., सहायक भण्डारी, सहायक स्टूवर्ड (सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदेशों के अनुसार)	5 वर्ष का अनुभव तथा [illegible] माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण	या अधीक्षक चिकित्सालय/फार्मेसी.
	प्रवर्ग दो.			
5	उ. श्रे. लि./भण्डारी/स्टूवर्ड (लेखा प्रशिक्षित)	लेखापाल	5 वर्ष का अनुभव	
	प्रवर्ग तीन			
6	औषधि संयोजक (कम्पाउण्डर) (एक) आयुर्वेदिक स्नातक कम्पाउण्डरों से 40 प्रतिशत.	सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/भारसाधी सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी.	3 वर्ष का अनुभव	
7	सहायक चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) कनिष्ठ	सहायक चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ श्रेणी)	ऐसे सहायक चिकित्सा अधिकारी (कनिष्ठ) जिन्होंने इस काडर में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो या सहायक चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ के पद के लिये अपेक्षित आवश्यक अर्हता रखते हों.	तदैव
8	होम्योपैथी कम्पाउन्डर (जो सहायक चिकित्सा अधिकारी होम्यो.) कनिष्ठ श्रेणी के पद के लिये अपेक्षित अर्हता रखते हों.	सहायक चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ श्रेणी.	3 वर्ष का अनुभव	तदैव
9	औषधालय सेवक, जो कम्पाउन्डर के पद के लिये अपेक्षित अर्हता रखते हों.	कम्पाउन्डर आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी	तदैव	तदैव
10	स्टाफ नर्स	नर्सिंग सिस्टर	तदैव	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. तिवारी, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 1987

क्र. 1993-सत्रह-मेडि-2-87.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1620-सत्रह-मेडि-2-87, दिनांक 18 मई 1987 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. तिवारी, उपसचिव.

सत्य प्रतिलिपि

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी
कार्यालय संभागीय अधिकारी आयुर्वेद

अनुसूची-एक (ख)

(नियम-5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

संभागीय/जिला स्तर पर लिपिक वर्गीय संवर्ग संगठन—संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं अधीनस्थ कार्यालय

	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				रुपये	
	कनिष्ठ लेखाधिकारी	4	तृतीय	1540–2760	संभागीय संयुक्त संचालक
	सहायक अधीक्षक	5	"	1290–2050	तदैव
	प्रवन्धक चिकित्सा भंडार	1	"	1290–2050	तदैव
	लेखा परीक्षक (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक)	10	"	1290–2050	तदैव
	शिविर-समन्वयक (कैम्प कोआरडीनेटर)	23	"	1290–2050	तदैव
	[illegible]पाल (एम. डी. टी.)	2	"	1290–2050	तदैव
	मुख्य लिपिक (संभागीय कार्यालय)	10	"	1260–1860	तदैव
	सहायक	10	"	1260–1860	तदैव
	मुख्य लिपिक (जिला)	80	"	1260–1860	तदैव
0	लेखापाल	80	"	1200–1840	तदैव
1	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	10	"	1200–1840	तदैव
12	सहायक लेखापाल	50	"	1200–1840	तदैव
13	लेखापाल सह भंडारी सह लिपिक	465	"	1200–1840	तदैव
14	उच्च श्रेणी लिपिक/खजांची	400	"	975–1650	तदैव
15	संगणक (कम्प्यूटर)	465	"	975–1650	तदैव
16	निम्न श्रेणी लिपिक/स्टेनोटायपिस्ट/आहार लिपिक/सहायक स्टुवड/लिपिक सह टायपिस्ट/कम्प्यूटर सह लिपिक	1200	"	870–1420	1. तदैव अपने कार्यालय के पदों के लिये. 2. प्राचार्य; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र अपने अधीनस्थ पदों के लिये. 3. जिले के शेष पदों के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
17	डायटीशियन	10	"	1290–2050	संभागीय संयुक्त संचालक
18	स्टुवर्ड	60	"	975–1650	तदैव
19	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	160	"	1350–2220	संचालक चिकित्सा सेवाएं संचालनालय के पदों के लिये तथा शेष पदों के लिय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं.
20	सांख्यिकी अन्वेषक (ई. पी. आई.)	20	"	1290–2050	तदैव
21	वरिष्ठ संगणक (सीनियर कम्प्यूटर) (कुष्ठ) सांख्यिकी अन्वेषक (कनिष्ठ)	11	"	1260–1860	तदैव
22	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्त्ता	22	"	1200–1840	संचालक चिकित्सा सेवाएं

प्रपत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल

पैरामेडिकल स्टाफ की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2013 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एव पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों यात्रा व्यय दिये जाने का भुगतान

अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को व्यय भुगतान का देयक प्रपत्र

1. प्रत्याशी का नाम ....
2. प्रत्याशी का पता ....
3. जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम ....
4. रोल नंबर ....
5. परीक्षा का नाम ....
6. परीक्षा की तिथि .... स्थान ....
7. यात्रा का विवरण यात्रा का प्रकार – (रेल या मोटर) .... विवरण देवे।

निवास स्थान	यात्रा प्रारंभ करने की तिथि	परीक्षा की तिथि	पहुंचने की तिथि	निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र की दूरी (कि.मी.)	टिकिट नंबर	किराया

टीपः– प्रत्याशी को निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र तक का आने जाने का रेल द्वारा की गई यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी की यात्रा का जो कि कम दूरी वाली यात्री गाड़ी से की गई हो का भुगतान ही किया जावेगा।

प्रमाण–पत्र / घोषणा–पत्र

मै .... (प्रत्याशी का पूरा नाम) रोल नंबर .... मध्यप्रदेश व्यापम परीक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा आयोजित परीक्षा .... में सम्मिलित होने के लिये यात्रा व्यय के निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता होने पर भुगतान के निमित्त यात्रा व्यय के देयक प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रत्याशी अपने प्रमाण पत्र / घोषण पत्र की प्रविष्टियों के अनुसार किया गया है या कोई अन्य प्राप्त नही करता है।

प्रभारी केन्द्राध्यक्ष

उपरोक्त यात्रा देयक की जॉच की तथा यात्रा व्यय रूपये ....का भुगतान स्वीकृत।

लेखाधिकारी / प्रभारी केन्द्राध्यक्ष

संचालनालय आयुष द्वारा रूपये .... उक्त यात्रा व्यय के निमित्त प्राप्त हुऐ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

यात्रा व्यय हेतु आवश्यक निर्देश

1. म.प्र. के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे प्रत्याशी जो मूल निवासी है को ही वित विभाग के आदेश क्रमांक2030–IV–R ii भोपाल दिनांक 22 जून 1963 के अनुसार यात्रा व्यय की पूर्ति निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार की जावेगी।
2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़े हो तो 80 कि.मी. से कम की यात्रा तथा दोनो स्थान बस से जुड़े हो तो 32 कि.मी. कम की यात्रा का व्यय मान्य नही किया जायेगा।
3. केवल साधारण श्रेणी का रेल किराया ही मान्य है। स्लीपर एवं आरक्षण व्यय अमान्य है।
4. रेल यात्रा / बस यात्रा के मूल टिकिट प्रस्तुत किये जावें। इनके अभाव में भुगतान नही किया जावेगा।
5. प्रत्याशी द्वारा यात्रा व्यय प्रपत्र की समस्त पूर्ति करने के पश्चात् भुगतान की पात्रता होने पर ही देयक पारित करे।

13

(2)	(3)	(4)	(5)
			संचालनालय की पदोन्नति समिति
	वर्ग—2 के पद हेतु		
उच्च श्रेणी लिपिक/ कनिष्ठ लेखापाल (क्रय)/ भंडारी	कनिष्ठ लेखापाल	(1) सम्मति पत्र के आधार पर (2) 3 वर्ष (3) लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण (45 वर्ष की आयु तक)	(1) संयुक्त संचालक (वरिष्ठतम—अध्यक्ष (2) संयुक्त संचालक—सदस्य (3) उप संचालक (कार्यालयीन स्थापना) —सदस्य (4) प्रशासकीय अधिकारी (कार्यालयीन स्थापना)—सदस्य सचिव
निम्न श्रेणी लिपिक	कनिष्ठ लेखापाल (क्रय)/ भंडारी	5 वर्ष लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगा.	—तदैव—1 से 4 तक
	वर्ग—3		
शोधलेखक द्वितीय श्रेणी	शोध लेखक प्रथम श्रेणी	5 वर्ष	तदैव 1 से 4 तक
शोधलेखक (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तृतीय श्रेणी	शोधलेखक द्वितीय श्रेणी	5 वर्ष	तदैव 1 से 4 तक
	वर्ग—4		
प्रचार सहायक	उप सम्पादक	5 वर्ष	तदैव 1 से 4 तक

अनुसूची—चार (ख)

(नियम 14 देखिये)

पदोन्नति प्रणाली अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

संभाग/जिला स्तर का लिपिक वर्गीय संवर्ग,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के अधीनस्थ कार्यालय

क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	आवश्यक अर्हता एवं अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				संभागीय पदोन्नति समिति
1.	सहायक अधीक्षक/ प्रबंधक चिकित्सा भण्डार/लेखा परीक्षक/ शिविर समन्वयक/ लेखापाल (एम.डी.टी.)	कनिष्ठ लेखाधिकारी	(1) लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण (2) 3 वर्ष	(1) वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी—अध्यक्ष (2) उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मलेरिया या कुष्ठ अधिकारी ग्रेड—1—सदस्य (3) वरिष्ठतम जिला परिवार कल्याण सह-स्वास्थ्य अधिकारी —सदस्य.
2.	मुख्य लिपिक (संभाग)/ सहायक/ मुख्य लिपिक	सहायक अधीक्षक/ प्रबंधक, चिकित्सा भंडार/ लेखा परीक्षक/ शिविर समन्वयक/ लेखापाल (एम.डी.टी.)	(1) 3 वर्ष (2) लेखा परीक्षक तथा लेखापाल (एम.डी.टी.) पद पर पदोन्नति हेतु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.	तदैव 1 से 3 तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				संभागीय पदोन्नति
3	कनिष्ठ लेखापाल/ लेखापाल/ सहायक लेखापाल/ कनिष्ठ लेखापरीक्षक (जूनियर ग्राडीटर)/ लेखापाल-सह-भंडारी-सह-लिपिक	मुख्य लिपिक (संभाग)/ सहायक/ मुख्य लिपिक	3 वर्ष	(1) वरिष्ठतम मुख्य ... स्वास्थ्य अधिका... (2) उप संचालक, स्वा... (मलेरिया) या ... ... (3) वरिष्ठतम ... कल्याण सह ...
				—तदैव—
4	उच्च श्रेणी लिपिक/ स्टुवर्ड/ संगणक (कम्प्यूटर)/ खजांची	लेखापाल/ सहायक (लेखापाल)/ कनिष्ठ लेखापरीक्षक/ लेखापाल-सह-भंडारी-सह-लिपिक	(1) 3 वर्ष (2) लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण (45 वर्ष की आयु तक)	
				—तदैव—
5	निम्न श्रेणी लिपिक/ सहायक स्टुवर्ड/ स्टुवर्ड (जूनियर)/ लिपिक-सह-टाइपिस्ट/ कम्प्यूटर-सह-लिपिक	(1) (क) उच्च श्रेणी लिपिक (ख) स्टुवर्ड	3 वर्ष	
				—तदैव—
6	निम्न श्रेणी लिपिक/ संगणक -सह-लिपिक	कम्प्यूटर	5 वर्ष	—तदैव—
7	स्टुवर्ड	डायटीशियन	5 वर्ष	—तदैव—
8	सांख्यिकी अन्वेषक/ सीनियर संगणक/ क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3 वर्ष सांख्यिकी अन्वेषक के लिए 5 वर्ष सीनियर संगणक एवं सांख्यिकी अन्वेषक (कनिष्ठ) के लिए 7 वर्ष क्षेत्रीय मूल्यांकन के लिए	तथा संचालनाल... संचालनालय की ... द्वारा.
9	सीनियर संगणक/ क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता	सांख्यिकी अन्वेषक	3 वर्ष सीनियर संगणक एवं सांख्यिकी अन्वेषक (कनिष्ठ) के लिए 5 वर्ष क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता (एफ. ई. डब्ल्यू.) के लिए	—तदैव— तथा संचालनाल... संचालनालय की ... द्वारा.
10	संगणक/ निम्न श्रेणी लिपिक	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता	(1) गणित, सांख्यिकी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र में स्नातक (2) 3 वर्ष संगणक के लिए 5 वर्ष निम्न श्रेणी लिपिक के लिए.	संचालनालय की द्वारा [दलिये ... जिला पदोन्नति ... (1) वरिष्ठतम ... कल्याण, ... कारी—अ... (2) अधीक्षक ... अथवा जि... अधिकारी ... चिकित्सा... (3) प्रशासकीय ...

प्रपत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल

पैरामेडिकल स्टाफ की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2013-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों यात्रा व्यय दिये जाने का भुगतान

अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को व्यय भुगतान का देयक प्रपत्र

1. प्रत्याशी का नाम ....

2. प्रत्याशी का पता ....

3. जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम ....

4. रोल नंबर ....

5. परीक्षा का नाम ....

6. परीक्षा की तिथि .... स्थान ....

7. यात्रा का विवरण यात्रा का प्रकार –(रेल या मोटर) .... विवरण देवे।

निवास स्थान	यात्रा प्रारंभ करने की तिथि	परीक्षा की तिथि	पहुंचने की तिथि	निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र की दूरी (कि.मी.)	टिकिट नंबर	किराया

टीप:- प्रत्याशी को निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र तक का आने जाने का रेल द्वारा की गई यात्रा के लिए सामान्य श्रेणी की यात्रा का जो कि कम दूरी वाली यात्री गाड़ी से की गई हो का भुगतान ही किया जावेगा।

प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र

मै .... (प्रत्याशी का पूरा नाम) रोल नंबर .... मध्यप्रदेश व्यापम परीक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा आयोजित परीक्षा .... में सम्मिलित होने के लिये यात्रा व्यय के निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता होने पर भुगतान के निमित्त यात्रा व्यय के देयक प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रत्याशी अपने प्रमाण पत्र / घोषण पत्र की प्रविष्टियों के अनुसार किया गया है या कोई अन्य प्राप्त नही करता है।

प्रभारी केन्द्राध्यक्ष

उपरोक्त यात्रा देयक की जॉच की तथा यात्रा व्यय रूपये ....का भुगतान स्वीकृत।

लेखाधिकारी / प्रभारी केन्द्राध्यक्ष

संचालनालय आयुष द्वारा रूपये .... उक्त यात्रा व्यय के निमित्त प्राप्त हुऐ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

यात्रा व्यय हेतु आवश्यक निर्देश

1. म.प्र. के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे प्रत्याशी जो मूल निवासी है को ही वित्त विभाग के आदेश क्रमांक2030-IV-R ii भोपाल दिनांक 22 जून 1963 के अनुसार यात्रा व्यय की पूर्ति निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार की जावेगी।
2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़े हो तो 80 कि.मी. से कम की यात्रा तथा दोनो स्थान बस से जुड़े हो तो 32 कि.मी. कम की यात्रा का व्यय मान्य नही किया जायेगा।
3. केवल सामान्य श्रेणी का रेल किराया ही मान्य है। स्लीपर एवं आरक्षण व्यय अमान्य है।
4. रेल यात्रा / बस यात्रा के मूल टिकिट प्रस्तुत किये जावें। इसके अभाव में भुगतान नही किया जावेगा।
5. प्रत्याशी द्वारा यात्रा व्यय प्रपत्र की समस्त पूर्ति करने के पश्चात् भुगतान की पात्रता होने पर ही देयक पारित करें।